

**SUMMARY TRIAL UNDER SECTION 263 OR 264 OF THE
CRIMINAL PROCEDURE CODE, 1898**

In the court of . कुमारी प्रतिष्ठा अवस्थी जे.एम.एफ.सी गोहद भिण्ड

प्रकरण क्रमांक 07/2017

Name and address of the complainant म०प्र० शासन द्वारा पुलिस थाना गोहद जिला प्रशासन
भिण्ड म०प्र०

name, parentage, caste and address of accused

1. उदय पुत्र बल्लू शाक्य उम्र-23 साल निवासी अहीर मौहल्ला गोहद, जिला भिण्ड म०प्र०

The offence complained of, and date of its alleged commission

आपने दिनांक 17/1/17 को 16:30 बजे सती बाजार गोहद में अपने आधिपत्य की वाहन टेक्सी
क्रमांक एम.पी.30 एल०-ए०702 को लोक मार्ग में खड़ा करके रास्ता अवरुद्ध कर लोक पथ में निकलने वाले
व्यक्तियों को बाधा कारित की?

तुम्हारा उपरोक्त कृत्य धारा 283 भा०द०स० के अंतर्गत दंडनीय अपराध किया। स्पष्ट करें अपराध
स्वीकार है या विचारण चाहते हैं।

.....
The plea of the accused and his examination [if any]--

आरोपी का अभिवाक--

.....
**The offence proved, if any in, case under clause (d), clause (e),
clause (f) or clause (g), of sub-section (1) of section 260, the value of
the property in respect of which the offence has been committed**

//निर्णय//

(आज दिनांक 19/1/17 को घोषित किया गया)

1. अभियुक्त/अभियुक्तगण को धारा 283 भा0द0स0 के तहत अपराध विवरण समरी शीट पर तैयार कर पढकर सुनाये व समझाये गये तो अभियुक्त/अभियुक्तगण ने स्वेच्छयापूर्वक अपराध किया जाना स्वीकार किया।
2. अभियुक्त/अभियुक्तगण द्वारा की गयी स्वेच्छयापूर्वक स्वीकारोक्ति, बिना किसी डर, दवाब व भय के की गई है। अतएव उसके द्वारा की गयी स्वेच्छया स्वीकारोक्ति के आधार उसे/उन्हें उक्त धरा 283 भा0द0स0 के अपराध का दोषी ठहराया जाता है एवं अभियुक्त/अभियुक्तगण को धारा 283 भा0द0स0 के अंतर्गत 200/-रुपये के अर्थदंड से दंडित किया जाता है।
3. अर्थदंड अदा नहीं करने पर प्रत्येक को 05 दिवस का साधारण कारावास भुगताया जावे।
4. आरोपी स्वतंत्र हो।
5. प्रकरण में जप्तशुदा आपे वाहन क्रमांक एम.पी.30 एल.ए.-0702 उसके पंजीकृत स्वामी को वापिस की जाये।

स्थान-भिण्ड

दिनांक- 19/1/17

निर्णय आज दिनांकित एवं

हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया

सही/-

(प्रतिष्ठा अवस्थी)
जेएमएफसी गोहद

मेरे निर्देशानुसार टंकित किया गया

सही/-

(प्रतिष्ठा अवस्थी)
जेएमएफसी गोहद